

22.12.2020 फावली चेन्न। वकील वादी एवं वादीगण
अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन बार
श्रावण लगवाई गई। श्रावण इच्छे मोह
अपस्थित नहीं। इच्छे प्रतीत होता है
कि वादी एवं वकील वादी अपने दावे
की लेकर गंभीर नहीं हैं। अतः दावा
अदम-हाजिरी, अदम पैदली में इच्छे
स्तर पर खारिज किया जाता है।
फावली फैसल सुनार लेकर नंबर
के कय की जाकर डाक से दफ्तर के

सहायक एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रक) सांचौर (जालोर)